भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3765
11/08/ को उत्तर के लिए 2026

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता

.3765 श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में (क), विशेषकर विशाखापत्तनम और अन्य प्रमुख मछली पकड़ने के बंदरगाह, लंबे समय तक समुद्र की खराब परिस्थितियों, जलवायु की परिवर्तनशीलता और समुद्री प्रदूषण का मछली अवतरण स्थल तथा मछुआरों की आय पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है;

और अन्य केंद्रीय (पीएमएमएसवाई) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (ख) योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित की गई वित्तीय सहायता, राजसहायता प्राप्त डीजल सहायता, बीमा दावा निपटान और अन्य राहत उपायों का आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है-;

क्या सरकार ने मछली पकड़ने के दौरान होने वाले मौसम जनित व्यवधानों के कारण मछुआरों और (ग) यंत्रीकृत नौका संचालकों को हुए परिचालन नुकसान की भरपाई करने में उक्त सहायता की पर्याप्तता का आकलन किया है; और

क्या सरकार का मछली पकड़ने के दौरान होने वाले मौसम जनित व्यवधानों तथा मछली की पकड़ (घ) सहायता तंत्र शुरू -में आ रही कमी से प्रभावित मछुआरों के लिए एक समर्पित मुआवजा या आय सीमा क्या है औ-करने का कोई प्रस्ताव है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित समयर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएमएफआरआई) द्वारा आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फिश लैंडिंग की सतत निगरानी, केंद्रित जैविक अनुसंधान संचालित किए जाते है तथा वास्तविक समय (रियल-टाइम) सर्वेक्षणों के माध्यम से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का नियमित आकलन किया जाता है। इसी प्रकार, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में व्यवस्थित अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किए जाते हैं, जिनके माध्यम से तलवर्ती (डिमर्सल) तथा महासागरीय संसाधनों से संबंधित आधारभूत आँकड़े तैयार किए जाते हैं। ये आँकड़े मत्स्यन दोहन के दबाव, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रदूषण तथा पर्यावास (हैबिटेट) के क्षरण के प्रभावों के आकलन करने में सहायक होते हैं। इन संस्थानों से उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि पर्यावरणीय तनाव कारकों का कुछ मत्स्य प्रजातियों के वितरण, प्रचुरता तथा मौसमी उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है, तथापि केवल जलवायु परिवर्तनशीलता एवं समुद्री प्रदूषण के कारण समग्र समुद्री मत्स्य उत्पादन पर किसी प्रत्यक्ष एवं निर्णायक

प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, ICAR-CMFRI की 'मरीन फिश स्टॉक स्टेटस ऑफ इंडिया (2022)' के अनुसार, भारतीय EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) में मूल्यांकित 135 समुद्री फिश स्टॉक में से 91.1% संधारणीय स्तर पर हैं।

(ख) और (ग) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 2020-21 से आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) कार्यान्वित कर रहा है। PMMSY के तहत, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹21,461.03 करोड़ के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹9,571.09 करोड़ है। आंध्र प्रदेश के लिए ₹2,328.89 करोड़ के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹681.38 करोड़ है। PMMSY मत्स्य की उपलब्धता में सुधार और मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए लंबे समय तक संसाधन बढ़ाने वाले उपायों, जैसे कि आर्टिफिशियल रीफ़ (कृत्रिम चट्टानें) लगाना और 'सी रैंचिंग' (समुद्र में मछली पालन) को भी बढ़ावा देता है। मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल ₹6,657.57 करोड़ की लागत वाली 253 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से ₹4,979.04 करोड़ की राशि पर ब्याज सब्सिडी देने पर विचार किया गया है।

विभाग राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से PMMSY के अंतर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) क्रियान्वित करता है। 2021-22 से 2026-27 के दौरान, केंद्र सरकार ने 167.64 लाख मछुआरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए ₹130.68 करोड़ जारी किए, जो प्रति वर्ष औसतन 33.52 लाख मछुआरों को कवर करता है। बीमित मछुआरों और निपटाए गए दावों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान 63,840 लाभार्थियों को डीजल सब्सिडी के रूप में ₹150.00 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2023-24 से 2025-26 के दौरान 63,840 लाभार्थियों को डीजल सब्सिडी के तौर पर ₹150.00 करोड़ देने की जानकारी दी है। साथ ही, 2025-26 और 2026-27 में मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के दौरान 2,55,731 समुद्री मछुआरों को ₹511.46 करोड़ दिए गए हैं।

(घ) PMMSY के तहत, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से, मत्स्यन प्रतिबंध और मंद अवधि (लीन सीज़न) के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, तटीय जलक्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों की वृद्धि के उद्देश्य से, विभाग राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में विभिन्न संसाधन संवर्धन उपायों पर कार्य कर रहा है। इनमें तटीय क्षेत्रों में आर्टिफिशियल रिफ्स की स्थापना, समुद्री मत्स्य संवर्धन (सी रैंचिंग) का संचालन तथा मछलियों के प्रजनन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान एक समान वार्षिक मत्स्यन प्रतिबंध (Fishing Closure) का कार्यान्वयन शामिल है।

अनुबंध- I

पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली द्वारा पूछे गए 11 अगस्त, 2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न 3765 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(वास्तविक व्यय)

क्रम.सं	राज्यों के नाम	बीमित मछुआरों की संख्या	निपटाए गए दावे	निपटान की राशि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	अरुणाचल प्रदेश	4,173	0	0
2	असम	8,83,630	4	15,23,746
3	बिहार	7,50,000	3	15,00,000
4	छत्तीसगढ़	11,02,377	12	57,50,000
5	गोवा	14,540	1	5,00,000
6	गुजरात	4,91,237	10	50,00,000
7	हरियाणा	8,076	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	54,988	6	25,75,000
9	झारखंड	8,36,991	4	20,00,000
10	कर्नाटक	3,62,371	21	1,05,00,000
11	मध्य प्रदेश	5,04,264	1	5,00,000
12	महाराष्ट्र	5,25,519	25	1,25,00,000
13	मणिपुर	8,534	1	5,00,000
14	मेघालय	4,280	0	0
15	ओडिशा	53,91,593	102	4,70,14,059
16	पंजाब	15,959	0	0
17	राजस्थान	24,426	2	10,00,000
18	सिक्किम	2,905	0	0
19	तमिलनाडु	27,81,317	591	28,13,16,727
20	तेलंगाना	18,53,832	948	47,03,89,005
21	त्रिपुरा	1,81,724	0	0
22	उत्तर प्रदेश	5,19,570	5	20,21,385
23	उत्तराखंड	18,115	0	0
24	पश्चिम बंगाल	8,499	0	0
	कुल	**1,63,48,920**	**1,736**	**84,45,89,922**
केंद्र शासित प्रदेश				
1	अंडमान और निकोबार	65,087	3	15,00,000
2	दिल्ली	1,881	0	0
3	दमन और दीव	38,267	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	1,25,309	5	25,00,000
5	लक्षद्वीप	11,142	2	5,18,224
6	लद्दाख	2,674	0	0
7	पुदुचेरी	1,71,456	28	1,25,75,000
	कुल	**4,15,816**	**38**	**1,70,93,224**
	कुल योग	**1,67,64,736**	**1,774**	**86,16,83,146**